

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एल-897/2019/

दिनांक:-

आदेश

श्री लोकेश कुमार शर्मा, नर्स द्वितीय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोप, टोंक को आरपीएससी द्वारा आयोजित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रति. परीक्षा 2019 की परीक्षा हेतु आवेदन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
4. कोर्स/परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. चयन होने पर नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत करा/कार्यमुक्त होकर ही कार्यग्रहण करना होगा।
6. राज्य हित में उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज0 जयपुर

दिनांक:- 28-02-19

क्रमांक:ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एल-897/2019/279

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
- 2-खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनियारा, टोंक।
- 3-चिकित्सा अधिकारी प्रभारी राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोप, उनियारा, टोंक।
- 4- संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 5- प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज0 जयपुर